



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

न्यूनतम वेतन
एवं
मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01/10/2021 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाईट
www.labour.mp.gov.in पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु
दिनांक 01/10/2021 से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
गृहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची "क"	पृष्ठ क. 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क. 17-19
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क. 20-28
अगरबत्ती उद्योग	पृष्ठ क. 29-35
अन्य	पृष्ठ क. 36-37

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 1/11/अन्वे/पांच/2015/29748-996,

इंदौर, दिनांक 01-10-2021

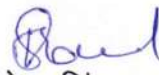
अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त म.प्र. एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जनवरी, 2021 से जून, 2021 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2021	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी,	340.42
फरवरी,	342.72
मार्च,	344.45
अप्रैल,	345.89
मई,	347.33
जून,	350.50
औसत	$2071.31 \div 6 = 345.21$ (345)

तथा इनका औसत 345 घोषित करता हूँ जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्र. एफ 4(सी)1-2013/अ-16. के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।


(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इन्दौर की अधिसूचना 1/11/अन्वे./पांच/2015-29748-
296 दिनांक 01-10-2021 के अनुसार जनवरी, 2021 से जून, 2021 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 345 रहा है। गत छः माही का औसत 341 रहा था अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 345 के ऊपर $(345-341)=04$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्धकुशल, कुशल, एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $(25 \times 04) = 100-00$ की वृद्धि हुई है तदनुसार अर्धकुशल, कुशल, एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(345-241)=104$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(25 \times 104) = 2600.00$ प्रतिमाह या $(2600 \div 26)$ रुपये 100.00 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(345-253)=92$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि $(92 \times 25) = 2300.00$ प्रतिमाह या प्रतिदिन $(2300 \div 26) = 88.46$ रुपये दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 देय है। (अनुसूचि अ,ब,स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/ 92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसार में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची "क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 तक देय है।

अनुसूची -अ

जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक							दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6500.00	250.00	2200.00	84.61	8700.00	334.64	335.00	अकुशल	6500.00
7057.00	271.42	2500.00	96.15	9557.00	367.58	368.00	अर्धकुशल	7057.00
8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.58	421.00	कुशल	8435.00
9735.00	374.42	2500.00	96.15	12235.00	470.58	471.00	उच्चकुशल	9735.00
								250.00
								271.42
								324.42
								374.42
								2300.00
								2600.00
								2600.00
								2600.00
								88.46
								100.00
								100.00
								100.00
								8800.00
								9657.00
								11035.00
								12335.00
								338.00
								371.00
								424.00
								474.00

स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विमाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

टीप:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-द में देखें।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

परिशिष्ट-अ

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

भाग-एक

क्रमांक	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकेंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी ईट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम / जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है/ में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि., 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पेथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था , जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे कंकड,मुर्रम,लेट्राईट,बोल्डर,ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती,बिल्डिंग स्टोन,रोड मेटल,अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है,में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज(शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहो या थियेटरो में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या द्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक(को-आपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेन्ट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण,जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित है,में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार,बड़ी,पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
	भाग दो
1.	कृषि में नियोजन


 (डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर

परिशिष्ट-ब

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा वर्ग कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

3. उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा :-

- (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सकें तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
- (ख) "अर्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हों और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
- (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करना है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
- (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकत होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सातान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हे उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

- (4) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है।
(न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- (5) किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
- (6) न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
- (7) जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे, दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (8) यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
- (9) कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।


 (डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची:-

अकुशल:-

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मेन (खल्लासी), व्हीकल अटेंडेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमैन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मैन, गेट कीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमैन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेड़वाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंसड वेन्डर, बालवाड़ी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डाले वाला), गनी बेग फिलर, लिटकैरियर, कॉटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोंडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, दुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बॉय, सेक्यूरिटी गार्ड/सुरक्षा कर्मी, अटेन्डर, अटेन्डेंट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉन्ड्रीमेन, वॉशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूंथना, पापड़ बेलने का कार्य, बेल बॉय, वेटर, रूम अटेन्डेंट, धागाकटिंग चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्धकुशल:-

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाइट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहरर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेस मेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिंकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक ग्रीसर, सहायक ऑईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेंट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेरीमेन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन ऑपरेटर, बोतल फिलर, केप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमैन, एक्सपेलर मैन, मशीन अटेन्डेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाईन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेटीमैन, सहायक सेल्समैन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूंथने वाला, या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटा फोलर, गांठवाला, सहायक जॉबर, सहा. सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्विस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन ऑपरेटर, सहायक सॉर्टर, मुंशी, फार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी. असिस्टेंट, असिस्टेंट कम्पाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफ्ट मेन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमैन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन

अटेन्डेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किल्स शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किल्स श्रमिक, ब्लेजर पैन मिल, फिक्शन, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा आपरेटर, चिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, बेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेक्निशियन, डार्क रूम सहायक, सहायक जिमट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, थ्रेसर, आया, पैकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूपसटकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पालिश वाला, असिस्टेन्ट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लान्ट ऑपरेटर, सहायक गार्ड, केयर टेकर, मॉड्यूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेअर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल:-

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मैसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडाऊनकीपर, फिटर, बायलर अटेण्डेंट, टर्नर, मोल्डर, जेसीबी ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड रोलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइण्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सेलर मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी मास्टर, ऑर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनानेवाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाड़ी या अशासकीय, आपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सीनियर गार्ड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मुनीम, वूड पॉलिसर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोर कीपर, ब्लेक स्मिथ, शेपर, वल्कनाइजर, टिंकर, फ्रेममेकर, अपहोल्स्टर, कारपेंटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्न मेकर, हैमरमेन, ग्रोसर, प्रयोगशाला तकनीशियन/लेबोरेटरी टेक्नीशियन, शॉवल, बेलसिंकर, प्रयोग शाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लांट अटेण्डेंट मोटरमैन, भट्ठी वाला, पेंटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, कताई इंचार्ज, कंप्रेसर ऑपरेटर, लान्ड्री अटेन्डर, कम्प्यूटर टाईपिस्ट, सिक्युरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउन्डर, सीनियर नर्स, रेकॉर्ड कीपर, ओ.टी. मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन), दर्जी रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोन क्रशर, चर्खा चालक, मास्टर (कारीगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमैन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायक्लीनडोजर, स्क्रैपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मैकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेरीयन (ग्रंथपाल), पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिसर, टूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवाइजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेंडर्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्स मैकेनिक कम ऑपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्म्ड सिक्युरिटी गार्ड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटीशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्ट्यूवर्ड, बेकरी कारीगर, ओवन/भट्ठी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खींचना, आभूषण जड़ाई करने वाला, सोपमेकर, प्लान्ट ऑपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिशेप्सनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाईन्डर, हेडकुक, सर्वेअर, गार्ड सुपरवाइजर, सॉर्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपिंग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

उच्च कुशल:-

मेडिकल एवं इंजिनियर स्नातक, एम टेक/एम.एस.सी.डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर आपरेटर, जियालॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंसलटेंट, सीनियर कंसलटेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडीकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, सांईटिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची :-

उच्च कुशल:-

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे:-

अकाउण्टेंट, कैशियर आदि ।

लिपिकीय श्रेणी "दो" :-

बिलमेन, टायपिस्ट, क्लर्क ।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

फोटोलिथोग्राफर, लिथोऑर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि ।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफ्टिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सीनियर रीडर आदि ।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे :-

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवांडर स्ट्रीचर मशीनमैन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि ।

अर्द्धकुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

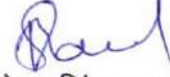
लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निसमेन, बेक्सीनर, बॉक्सीन मशीनमेन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोट प्रिंटिंग आदि ।

अर्द्धकुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

स्ट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काऊण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर पुफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूम असिस्टेंट फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईडर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि ।

अकुशल श्रेणी जैसे :-

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइडिंग बायलर विलनर, मजदूर आक्जिलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंगबाय रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोट प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि ।



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुसूची -ब

किसी स्लैट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक							दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 तक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6500.00	250.00	2200.00	84.61	8700.00	334.64	335.00	मजदूर	6500.00
6705.00	257.85	2500.00	96.15	9205.00	354.03	354.00	पेकर, पट्टी पेकर	6705.00
							सीपर	
8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00	मुनीम, लेखाकार, क्लर्क, आदि	8435.00
9522.00	366.23	2500.00	96.15	12022.00	462.38	462.00	रोलर्स, मिस्त्री, पाईन्टर्स	9522.00
9735.00	374.42	2500.00	96.15	12235.00	470.57	471.00	उच्च कुशल	9735.00
10155.00	390.57	2500.00	96.15	12655.00	486.73	487.00	कटर्स	10155.00

स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))


 (डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
 श्रम आयुक्त,
 मध्य प्रदेश, इंदौर

अनुसूची -स
किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)

मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी शामिल है														
न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2021 से 30.09. 2021 तक							दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15
							लिपिकिय वर्ग							
6500.00	324.42	2200.00	84.61	8700.00	334.64	335.00	अकुशल	6500.00	324.42	2300.00	88.46	8800.00	338.46	338.00
8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00	श्रेणी एक	8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.42	424.00
7057.00	271.42	2500.00	96.15	9557.00	367.57	368.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	2600.00	100.00	9657.00	371.42	371.00
9735.00	374.42	2500.00	96.15	12235.00	470.58	471.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	2600.00	100.00	12335.00	474.42	474.00
							कुशल श्रेणी							
9685.00	372.50	2500.00	96.15	12185.00	468.65	469.00	श्रेणी एक	9685.00	372.50	2600.00	100.00	12285.00	472.50	473.00
9378.00	360.69	2500.00	96.15	11878.00	456.84	457.00	श्रेणी दो	9378.00	360.69	2600.00	100.00	11978.00	460.69	461.00
8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00	श्रेणी तीन	8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.42	424.00
							अर्द्धकुशल							
							श्रमिक							
8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00	श्रेणी एक	8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.42	424.00
7057.00	271.42	2500.00	96.15	9557.00	367.58	357.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	2600.00	100.00	9657.00	371.42	371.00

स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुसूची - क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन की दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउण्ड अप मर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक 1.04.2021 से 30.09.2021 तक								दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 तक						
14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	216.66	2200.00	73.33	8700.00	290.00	290.00	अकुशल	6500.00	216.66	2300.00	76.66	8800.00	293.33	293.00
7057.00	235.33	2500.00	83.33	9557.00	318.56	319.00	अर्धकुशल	7057.00	235.23	2600.00	86.66	9657.00	321.90	322.00
8435.00	281.16	2500.00	83.33	10935.00	364.50	365.00	कुशल	8435.00	281.16	2600.00	86.66	11035.00	367.83	368.00
9735.00	324.50	2500.00	83.33	12235.00	407.83	408.00	उच्चकुशल	9735.00	324.50	2600.00	86.66	12335.00	411.16	411.00

स्पष्टीकरण 10935

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 2/1/अन्वे./पांच/2015/29997-30246,

इन्दौर, दिनांक 01-10-2021

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त म.प्र. ऐतद् द्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जनवरी, 2021 से जून, 2021 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह/वर्ष 2021	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी,	1038
फरवरी,	1037
मार्च,	1035
अप्रैल,	1041
मई,	1049
जून,	1057
औसत सूचकांक	6257÷6= 1042.83 (1043)

तथा इनका औसत 1043 घोषित करता हूँ। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014) द्वारा 1.10.2021 से 31.03.2022 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01/10/2021 से 31/03/2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)/1-2014-ए सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 2/11/अन्वे./पांच./2015/29997 — 30246 दिनांक 01-10-2021 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी, 2021 से जून, 2021 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1043 रहा है। गत छः माही का औसत 1041 रहा था, अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1041 के ऊपर $(1043-1041)=02$ बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रु. 6 प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से $(02 \times 6) = 12.00$ रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 $(1986-87=100)$ के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि $(1043-768)=275$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(275 \times 6) = 1650.00$ प्रतिमाह या प्रतिदिन $(1650 \div 30) = \text{रु.} 55.00$ यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन $5350 + 1650 = 7000.00$ तथा $7000 \div 30$ रुपये 233.33 प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 तक देय है। (अनुसूचि द)

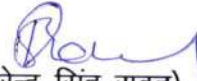
अनुसूची – द
कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन की दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप मर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक		1.04..2021 से 30.09.2021 तक						1.10..2021 से 31.03.2022 तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5350.00	178.33	1638.00	54.60	6988.00	232.93	233.00	अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	1650.00	55.00	7000.00	233.33	233.00

स्पष्टीकरण— परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मुल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रुपये (छः रुपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल पभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा, 1948 की धारा (1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
- (6) कृषिनियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।


(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/30247-496,

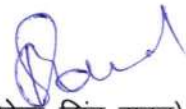
इंदौर, दिनांक 01-10-2021

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ -

माह/ वर्ष 2020	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी	7532.55
2. फरवरी	7486.90
3. मार्च	7441.24
4. अप्रैल	7509.72
5. मई	7532.55
6. जून	7578.20
7. जुलाई	7669.50
8. अगस्त	7715.15
9. सितम्बर	7757.10
10. अक्टूबर	7855.76
11. नवम्बर	7882.03
12. दिसम्बर	7809.74
औसत	91770.44÷12=7647.53 औसत (7648)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 7648 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2022 तक देय रहेगा।


(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/ **30247-496** दिनांक **01-10-2021** के अनुसार जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 7648 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर $(7648-5299=2349)$ पाइंट 2349 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से रुपये 23.49 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 तक देय होगा।

(अनुसूची - ई)

किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर परिवर्तनशील	मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
1	2	3	4
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	23.49	रु 97.49 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाल वेतन का योग रुपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रु. 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा

नोट:- एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 97 रुपये 49 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8 रुपये 54 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 4 रुपये 87 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 रुपये 24 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 121 रुपये 14 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 20.48 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि में श्रमिकों से 10 रुपये 24 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 10 रुपये 24 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 100 रुपये 66 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

2.

रिलाई श्रमिक**अ. बीडी के कट्टों पर झिल्ली लगाना**

1. लेबल चिपकाने तथा पुडों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 23.49 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 75.88
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है	रुपये 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 23.49 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 79.75

ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 23.49 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 69.44
2. झिल्ली लगाना	रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 17.61 (03 पैसे प्रति चार हजार)	रुपये 51.15
3. लेबल लगाना	रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 5.87 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 18.71
4. पुडा बनाना या चिपकाना	रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 5.87 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 19.12

स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीडियों का कट्टा हो

1. आडी तथा खडी पट्टी लगाने का कार्य हो	रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीडी पर	रु. 93.96 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रुपये 286.60
2. झिल्ली आडी तथा खडी लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीडी पर	रु. 93.96 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रुपये 307.55
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीडी पर	रु. 93.96 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रुपये 307.55

नोट:- बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीडी छोटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोईया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1- कुशल:- ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउटेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर

2- अर्धकुशल:- बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्ठीवाला, रसोइया, ड्राईवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

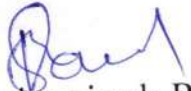
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

.Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)

Effective from 1/04/2021 to 31/3/2022

V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2021

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	23.49
3.	Leave with Salary (@5% of total wages)	4.87
4.	Total Wages	102.36
5.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	8.54
6.	P.F. contribution of employer (@ 10% of total wages)	10.24
7.	Total wages +Bonus+PF Contribution)= Less Contibution of employer (-)	121.14
8.	Total Wages+Bonus	110.90
9.	Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-)	10.24
10.	Net Payable to Beedi Roller	100.66


 (Dr. Virendra singh Rawat)
 Labour Commissioner
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे./पांच/2015/30497-746,

इन्दौर, दिनांक 01-10-2021

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धरा 4 (2) अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर मैं, डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत जनवरी, 2021 से जून, 2021 तक के माहों के लिए सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2021	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
जनवरी,	340.00
फरवरी,	343.00
मार्च,	344.00
अप्रैल,	346.00
मई,	347.00
जून,	351.00
(औसत)	$2071.00 \div 6 = 345.16(345)$

तथा उक्तानुसार इनका औसत 345 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (मेन्युअल एवरेज कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 तक देय रहेगा।



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ./पांच/2015. **30497 - 746** दिनांक **01-10-2021** के अनुसार जनवरी, 2021 से जून, 2021 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 345 रहा है। गत छः माही का औसत 341 रहा था अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर $(345-341)=04$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप बीडी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $25 \times 4 = 100.00$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001 = 100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $345-239=106$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $25 \times 106 = 2650.00$ प्रतिमाह या $2650 \div 26 = 101$ रुपये 92 पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह 7725.00 रुपये या $7725 \div 26 = 297$ रुपये 11 पैसे प्रतिदिन दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 तक देय है।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक निम्नानुसार देय है:-

क.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये राउण्डअप में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीड़िया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला रसोईया, वाहन, ड्रायव्हर (चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन	5075.00	195.00	2650.00	101.92	7725.00	297.11	297.00
2.	ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भृत्य, चौकीदार,	4945.00	190.00	2650.00	101.92	7595.00	292.11	292.00
3.	ड्रायव्हर (चालक) भारीवाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडक्लर्क	5225.00	200.96	2650.00	101.92	7875.00	302.88	303.00

स्पष्टीकरण

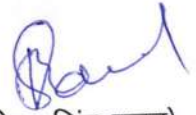
1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
3. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 5635 (2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी से की जावेगी, और स्तंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में

हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।

4. निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
5. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारंटेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारंटेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारंटेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़िया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कमांक: 4/11/अन्वे./पांच/2015/30747-996,

इंदौर, दिनांक 01-10-2021

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जनवरी, 2021 से जून, 2021 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ -

माह/ वर्ष 2021	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी,	340.00
फरवरी,	343.00
मार्च,	344.00
अप्रैल,	346.00
मई,	347.00
जून,	351.00
(औसत)	$2071.00 \div 6 = 345.16$ (345)

अतः विगत छः माही का औसत 345 घोषित करता हूँ जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 4 (सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 तक देय है।



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप
अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे./पांच/2015/30747-926 दिनांक 01-10-2021 के अनुसार, जनवरी, 2021 से जून, 2021 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 345 रहा है। गत छ' माही का औसत 341 रहा था अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता के औसत के ऊपर $(345-341)=04$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से $(25 \times 04)=100.00$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता में वृद्धि $(345-241)=104$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि $(25 \times 104)=2600.00$ प्रतिमाह या $(2600 \div 26)=100$ रुपये 00 पैसे प्रतिदिन दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 तक देय है इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 100 पर $(104 \div 4=26.00)$ 26.00 रुपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.10.2021 से 31.3.2022 तक देय है।

अनुसूची एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	न्यूनतम वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40	(रु. 26.00) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 47.40
ब. सुगंधित(सेंटेड)	22.00	(रु. 26.00) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 48.00

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पेकेट में भरकर पेकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	20.48	(रु.20.80)	रु.41.28
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	21.34	(रु.20.80)	42.14
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	21.34	(रु.20.80)	42.14
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	27.23	(रु.26.00)	53.23
			100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	36.58	(रु.34.32)	70.90
			100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	41.54	(रु.41.60)	83.14
			100 पैसा प्रति 250 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	43.12	(रु.41.60)	84.72
			100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	
8. 200ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	52.76	(रु. 52.00)	104.76
			100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	

सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	21.34	(रु.20.80)	42.14
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	26.60	(रु.26.00)	52.60
			100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	33.00	(रु.34.32)	67.32
			100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	34.48	(रू.34.32) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	68.80
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	37.03	(रू.34.32) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	71.35
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	43.12	(रू.41.60) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	84.72
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	51.00	(रू.52.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	103.00
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	54.47	(रू.52.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	106.47

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना.

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	16.98	(रू.17.68) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	34.66
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	17.80	(रू.17.68) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	35.48
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	21.30	(रू.20.80) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	42.10
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	22.19	(रू.20.80) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	42.99

5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	26.60	(रु.26.00.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	52.60
------------------------	--------------	-------	---	-------

6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	28.70	(रु.26.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	54.70
------------------------	--------------	-------	--	-------

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	3.85	(रु.4.16) 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	8.01
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	4.44	(रु.5.20) 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	9.64
3. पुंगली बनाने के कागज(रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	(रु.7.28) 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	43.62

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
1.10.2021 से 31.03.2022 तक

क	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड अप में दैनिक दरें प्रतिदिन
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	पुडा बनाने वाला, मसाला भरने वाला भृत्य, चौकीदार	5939.00	228.42	2600.00	100.00	8539.00	328.42	328.00
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरनेवाला मसाला तौलने वाला	7057.00	271.42	2600.00	100.00	9657.00	371.42	371.00
3.	एकाउंटेंट, केशियर, गोडाउनकीपर, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटीबनाने वाला	8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.42	424.00

नोट:- अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलनेवाला, अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

- अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही.डी. ए) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर

कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 5/11/अन्व./पांच/2015/30997-31038,

इंदौर, दिनांक 01-10-2021

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर ;मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल.
3. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
4. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रसारण हेतु अग्रेषित.
5. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर.
21. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल
22. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ.
23. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश.
24. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
28. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल .
30. प्रमुख वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
31. उप श्रमायुक्त, इन्दौर/भोपाल.

32. संचालक/समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर.
33. समस्त सहायक श्रमायुक्त, म.प्र.
34. समस्त श्रम पदाधिकारी, म.प्र.
35. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर .
36. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,
37. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
38. सचिव, म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल, मन्दसौर
39. सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
40. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तन शील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर